बिहार सरकार
कृषि विभाग, बिहार, पटना

(12)

पत्रांक–NHM/BHDS/116/2020- NHM/ पटना दिनांक 2020

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, किशनगंज।
पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।

विषय : कोविड–19 (COVID-19) महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के दौरान चाय फसल की तुड़ाई, परिवहन एवं प्रसंस्करण से जुड़े प्रतिष्ठानों को छूट देने के संबंध में।

प्रसंग : भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक–40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 25.03.2020 एवं 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 27.03.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि ससमय चाय की पत्ती की तुड़ाई एवं तत्क्षण प्रसंस्करण अत्यावश्यक होते हैं। चाय एक आवश्यक खाद्य सामग्री में शामिल है। जिसके उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाई को गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रसंगाधीन पत्र एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–155 (HS) दिनांक 23.03.2020 के द्वारा छूट प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि चाय फसल के परिपक्वता के उपरान्त समय पर तुड़ाई नहीं होने एवं तुड़ाई के उपरान्त तत्क्षण प्रसंस्करण नहीं होने की स्थिति में बड़ी मात्रा में चाय फसल बर्बाद हो सकती है।

अनुरोध है कि जिलान्तर्गत संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश देना चाहेंगे कि चाय उत्पादन एवं प्रसंस्करण कार्य को अत्यावश्यक समझते हुए इससे जुड़े प्रतिष्ठानों को खोले जाने की छुट दी जाय। चाय फसल की तुड़ाई, परिवहन एवं प्रसंस्करण के दौरान Personal Hygiene एवं Social Distancing का पूर्णतः ध्यान रखा जायेगा। इससे संबंधित चाय बागान प्रबंधकों को दिये जा रहे निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु० यथोक्त

विश्वासभाजन

31/03/2020

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 696 NHM/ पटना दिनांक 31/3/ 2020

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज एवं सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/2020

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

Scanned with CamScanner

(11)

ज्ञापांक :–   NHM/ पटना दिनांक   2020

प्रतिलिपि :– श्री राज किरण दफ्तरी, अध्यक्ष, अशोक बिहार टी प्लान्टर्स एसोसिएशन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

O/C

Scanned with CamScanner